न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—107 / 18 (2018 / 00198) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नाथु पिता नानजी माली निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—श्रवण पिता रोशनलाल कलाल ना.बा.बे. माता गीतादेवी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर हाल ग्राम मोटा (गंमेरीबांध) तहसील नवाब का निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़

2—दुर्गा पिता रोशनलाल कलाल ना.बा.बे. माता गीतादेवी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर हाल ग्राम मोटा (गंमेरीबांध) तहसील नवाब का निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़

3—गीतादेवी पत्नि रोशनलाल निवासी नान्दशा तहसील रायपुर हाल ग्राम मोटा (गंमेरीबांध) तहसील नवाब का निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट</u>.

उपस्थित

1—जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 18.02.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में खाता संख्या 256 में अंकित आराजी संख्या 2352 रकबा 0.25 है0 आराजी संख्या 2353 रकबा 0.16 है0 भूमि आराजी संख्या 2354 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 2355 रकबा 0.48 है0, आराजी संख्या 2356 रकबा 0.19 है0, भूमिया अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित कृषि आराजियात को प्रार्थी ने सन् 1964 लालु पिता उंकार कलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से प्रार्थी की उक्त भूमि में आवागमन का एक मात्र रास्ता सरकारी बिलानाम रास्ता आ.स. 2314 से होकर विपक्षीगण की आ.स. 2326 मे से होता हुआ प्रार्थी की आराजी स. 2353 में जाता है प्रार्थी अपने खेतो में वर्षो से इसी रास्ते से आवागमन कर अपने खेतो में फसल काश्त कर लाभ ले रहा है तथा इसी रास्ते से अपने संज बैल, गाड़ी टैंक्टर आदि लेकर जाता है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा को रास्ता नही है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के उक्त रास्ते को बन्द करने से अपने खेतो की हकाई बुआई नही कर पा रहा है जिससे प्रार्थी व उसके परिवार भुखे मरने की स्थिति में आ गया है। प्रार्थी उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र रास्ता विपक्षीगण की आ.स. 2326 में ही होकर जाता है इसके अलावा प्रार्थी की आराजियात में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी रास्ते के रूप में उपयोग आने वाली भूमि की डीएलसी. दर से राशि जमा कराने को तैयार है। श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की कृषि आराजियात जिनका वर्णन प्रार्थनापत्र की कलम नम्बर 1 में किया गया है जिनमें आवागमन का रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 2326 में बिलानाम सरकारी दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डीएलसी. दर से राशि विपक्षीगण को प्रदान किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

मुकदमा नम्बरः—107 / 18 (2018 / 00198) प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 24.04.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही है इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम नान्दशा की सीमा में स्थित वादी नाथुलाल पिता मानजी माली के नाम पर आराजी नम्बर 2352, 2353, 2354, 2355, 2356 कृषि भूमि दर्ज रेकार्ड है उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगण के आराजी नम्बर 2356 रकबा 0.11 है0 रास्ता हेतु वाद पेश किया उक्त आराजियात में वर्तमान में आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है चारो तरफ खातेदारी भूमिया स्थित है। यह है कि मौके पर आराजी नम्बर 2345 जो बिलानाम रास्ता आराजी नम्बर 2314 से सटा हुआ है जिसे वर्तमान में थोर की बाड़ लगाकर बन्द कर रखा है। वादीगण की आराजियात में जाने हेतु उक्त रास्ते अलावा कोई रास्ता मौके पर स्थित नही है। वर्तमान में उक्त आराजी पर आने जाने हेतु अन्य पड़ौसी खातेदारान की मेड़ से आना जाना वादी ने बताया है। उक्त रास्ते में आराजी नम्बर 2326 रकबा 0.11 है0 सम्पूर्ण खसरा नम्बर का रकबा प्रस्तावित रास्ते में आता है जो बिलानाम रास्ता से वादी की खातेदारी भूमि तक स्थित है ग्राम नान्दशा की डीएलसी दर 138300 प्रति बीघा है जिससे 0.11 है0 की डीएलसी दर से कीमत 70398 रू. बनती है जिसका दुगुना करने पर 140796 रू. बनती है। वर्तमान में रास्ते की नक्क्षे की फोटो कॉपी में ब्ल्यु स्याही से एवं प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है जो सलंग्न है। मौके पर वादग्रस्त आराजियात पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु चाहा गया है जो सरकारी रास्ते आराजी नम्बर 1314 से लगता हुआ है ओर प्रार्थी की आराजी में पहुॅचने का एकमात्र वेकल्पिक रास्ता यही है। ऐसी स्थिति प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 2353, में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की आराजी नम्बर 2326 रकबा 0.11 है0 **मे से रकबा 0.08 है0** भूमि प्रार्थी की आराजी संख्या 2353 में प्रवेश करने की सीमा तक की भूमि की बाजार दर 138300/—रूपये प्रति बिघा के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि 800 वर्गमीटर की राशि 51198/—रूपये भूमि की किमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 102397/—रूपये भूमि की मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1 को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर विपक्षी की आराजी नम्बर 2326 रकबा 0.11 है0 मे से 0.08 है0 भूमि आराजी नम्बर 1314 के बिलानाम रास्ते से प्रार्थी की आराजी संख्या 2353 में प्रवेश करने तक की भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.2.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—107/18 (2018/00198) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नाथु पिता नानजी माली निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—श्रवण पिता रोशनलाल कलाल ना.बा.बे. माता गीतादेवी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर हाल ग्राम मोटा (गंमेरीबांध) तहसील नवाब का निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़

2—दुर्गा पिता रोशनलाल कलाल ना.बा.बे. माता गीतादेवी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर हाल ग्राम मोटा (गंमेरीबांध) तहसील नवाब का निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़

3—गीतादेवी पत्नि रोशनलाल कलाल निवासी नान्दशा तहसील रायपुर हाल ग्राम मोटा (गंमेरीबांध) तहसील नवाब का निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :— तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 2353, में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की आराजी नम्बर 2326 रकबा 0.11 है0 **मे से रकबा 0.08 है0** भूमि प्रार्थी की आराजी संख्या 2353 में प्रवेश करने की सीमा तक की भूमि की बाजार दर 138300/—रूपये प्रति बिघा के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि 800 वर्गमीटर की राशि 51198/—रूपये भूमि की किमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 102397/—रूपये भूमि की मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1 को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर विपक्षी की आराजी नम्बर 2326 रकबा 0.11 है0 मे से 0.08 है0 भूमि आराजी नम्बर 1314 के बिलानाम रास्ते से प्रार्थी की आराजी संख्या 2353 में प्रवेश करने तक की भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

हुक्मनामा आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

18.2.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.25 15:51:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: